

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :- 82/2021 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :-

प्रार्थी:-

1.तगाराम पुत्र डालूराम, जाति जाट
निवासी लिडियाला (शोभाला जेतमाल)
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1.चेनाराम पुत्र सोनाराम के का.मु. :-
1/1.मानाराम 1/2.जेताराम 1/3.अखाराम 1/4.जोगाराम
पि.चेनाराम 1/5.रम्भादेवी पत्नि चेनाराम, जाति जाट
निवासी लिडियाला (शोभाला जेतमाल), तहसील चौहटन
2.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन

वकील प्रार्थी :- श्री वीरमाराम

वकील विप्रार्थीगण:- एकतरफा

निर्णय

दिनांक 19.10.2022



प्रार्थी तगाराम पुत्र डालूराम, जाति जाट, निवासी लिडियाला (शोभाला जेतमाल), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जोत मौजा लिडियाला(शोभाला जेतमाल), तहसील चौहटन में खसरा सं. 275/78 रकबा 38.11 बीघा की आई हुई है। जिस पर उसकी रहवासी ढाणी आदि बनी हुई है। प्रार्थी को अपनी उक्त ढाणी एवं ढाणी से सरकारी सड़क मार्ग पर आने जाने के लिए विप्रार्थी के खेत खसरा सं. 271/77 रकबा


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

17.12 बीघा एवं खसरा सं. 273/77 रकबा 09.00 बीघा मौजा लिडियाला में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हासम खान ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी सं. 1 की फौतगी पर उसके कायम मुकाम एवं संशोधित शीर्षक पेश किये गये। विप्रार्थी सं. 1 के का.मु. के नोटिस रजि.एडी.से जारी किये गये बावजूद विप्रार्थी सं. 1 के का.मु. की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते का आदेश करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतीत होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	271/77	17.12	बा.दो.	20 फीट	00.05	लिडियाला	चैनाराम वल्द सोनाम वगैरा
2.	273/77	09.00	बा.दो.		00.09		राज.सरकार



उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 271/77 एवं खसरा सं. 273/77 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमती पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) - (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20




उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरा न में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंगन मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।



2
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को दिया जाता है। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दफ़तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।



(भागीरथ राम II)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन



नमः २१)
 मीना - डिफायत नगर लिडियाला
 तः चौहदन
 पणान नं = ६७५६



संकेत

प्रस्तावित शक्ति

प्रमाणित अतिरिक्त
 शासकीय प्रयोजनार्थ हेतु: नि:शुल्क


६ नो
 १०/१२/२०२२
 प. शासनालय


Ex-court

३

नगा

लिखण्ड अधिकारी
 चौहदन


 ०८/१०/२२
 TDR
 लिखण्ड चौहदन


 IUR वीजराड

विर धाराम



अति
 नवलाराम



अति
 चेतनाराम

५/२०/२२

नगा वीजराड